

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी नुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

रामलक्ष्मण पिता जयन्नाथ भीणा नि. डांग का बाका

बनाम

दीलतराम पिता ग्यारसा भीणा नि. डांग का बाका यमना

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. नुकदना नं. 42-V/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही नय इनिशियल्स अज	सम्बन्धित तारीख अहकाम या हुकम की सम्पत्ति में जारी करें
11-05-22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिवाचक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 2265/17 कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्गित कृषि आसजी के पडौसी अप्रार्थीगण हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आसजी को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तहईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिवाचक/प्रार्थी को एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जनाबन्दो सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 2265/17 कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टैयर की पडौसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु मु. अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिस्तर नियुक्त किया जाता है। कमिस्तर को 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी नौके पर जमा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

tu
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)